

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 16, मंगलवार, श०के 1947- जनवरी 06, 2026 Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

आदेश

जयपुर, जनवरी 05, 2026

संख्या F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./2023/51 :-भारत निर्वाचन आयोग का निम्नांकित आदेश संख्या 76/राज-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक 01 जनवरी, 2026 सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित किया जाता है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001

सं. 76/राज-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1	दिनांक: 1 जनवरी, 2026
	11 पौष, 1947 शक

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सं० 464/राज०-वि०स०/2023 के अनुसरण में राजस्थान राज्य के 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक 16.01.2024 पत्र सं0 F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री मसरा राम** जो 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री मसरा राम** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/राज-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक 10 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री मसरा राम** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** से दिनांक 22.11.2024 के पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु /व्यय मो0/2024/3050 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री मसरा राम** को दिनांक 12.11.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** ने पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु/व्यय मो0/2024/3054 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री मसरा राम** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री मसरा राम** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि: "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन अयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री मसरा राम** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के 141-आहोर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मसरा राम, निवासी- सनवाडा, तहसील- आहोर, जिला जालोर, राजस्थान, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

राकेश कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

सेवा में,
श्री मसरा राम,
सनवाडा, तहसील- आहोर,
जिला जालोर, राजस्थान।

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

No. 76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I

Dated: 1st January, 2026
11 Pausha, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **141-Ahore** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/RJ-LA/2023, dated 30th October, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **141-Ahore** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Jalore** report dated **09.01.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Masara Ram** a contesting candidate from **141-Ahore** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge the account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jalore** a Show-Cause Notice No.76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I, dated **10th July, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election

Commission of India to **Sh. Masara Ram**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Masara Ram**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jalore** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** vide his letter no. P.(1)(1) L.A.Ele./Exp.Mo./2024/3050 dated 22.11.2024 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Masara Ram** on dated **12.11.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** in his Supplementary Report, vide its letter no. P.(1) (1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3054 dated 16.12.2024 has reported that **Sh. Masara Ram** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Masara Ram** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Masara Ram** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Masara Ram**, residence of **Sanvara, Tehsil- Ahore, District-Jalore, Rajasthan**, a contesting candidate from **141-Ahore Assembly Constituency** of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

RAKESH KUMAR,
SECRETARY.

ELECTION COMMISSION OF INDIA.

To

Sh. Masara Ram,
Sanvara, Tehsil- Ahore,
District-Jalore, Rajasthan.

भारत निर्वाचन आयोग**निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001**

सं. 76/राज-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1

दिनांक: **1 जनवरी, 2026**
11 पौष, 1947 शक**आदेश**

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सं0 464/राज0-वि0स0/2023 के अनुसरण में **राजस्थान** राज्य के **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक 16.01.2024 पत्र सं0 F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री भूदरमल** जो **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री भूदरमल** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/राज-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक 10 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री भूदरमल** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर **जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** से दिनांक 22.11.2024 के पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु/व्यय मो0/2024/3050 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री भूदरमल** को दिनांक 20.11.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** ने पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु/व्यय मो0/2024/3054 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री भूदरमल** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री भूदरमल** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि: “यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री भूदरमल** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री भूदरमल**, निवासी मेघवालो का वास माण्डवला, तहसील व जिला **जालोर**, **राजस्थान**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

राकेश कुमार,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

श्री भूदरमल,

मेघवालो का वास माण्डवला,

तहसील व जिला जालोर, राजस्थान ।

भारत निर्वाचन आयोग**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

No. 76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I

Dated: 1st January, 2026
11 Pausha, 1947 (Saka)**ORDER**

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **141-Ahore** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/RJ-LA/2023, dated 30th October, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **141-Ahore** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Jalore** report dated **09.01.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Bhudar Mal** a contesting candidate from **141-Ahore** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jalore** a Show-Cause Notice No. **76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I**, dated **10th July, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Bhudar Mal** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Bhudar Mal** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jalore** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** vide his letter no. P.(1)(1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3050 dated 22.11.2024 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Bhudar Mal**, on dated 20.11.2024; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** in his Supplementary Report, vide its letter no. P.(1) (1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3054 dated 16.12.2024 has reported that **Sh. Bhudar Mal** as not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Bhudar Mal** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Bhudar Mal** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Bhudar Mal**, residence of **Meghwalo ka Vas Mandwala, Tehsil & District-Jalore, Rajasthan**, a contesting candidate from **141-Ahore Assembly Constituency** of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

RAKESH KUMAR,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

To

Sh. Bhudar Mal,
Meghwalo ka Vas Mandwala,
Tehsil & District-Jalore, Rajasthan

भारत निर्वाचन आयोग**निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001**

सं. 76/राज-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1

दिनांक: 1 जनवरी, 2026
11 पौष, 1947 शक**आदेश**

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सं0 464/राज0-वि0स0/2023 के अनुसरण में राजस्थान राज्य के 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक 16.01.2024 पत्र सं0 F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री सूरज राठौड़ जो 141-आहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सूरज राठौड़ को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं.76/राज-वि.स./141/2023/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक 10 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री सूरज राठौड़ को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** से दिनांक 22.11.2024 के पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु/व्यय मो0/2024/3050 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री सूरज राठौड़** को दिनांक 19.11.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जालोर** ने पत्र सं0- प0 (1) (1) विसचु/व्यय मो0/2024/3054 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री सूरज राठौड़** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री सूरज राठौड़** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि: “यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन अयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सूरज राठौड़** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, **अब**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के **141-आहोर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **अभ्यर्थी श्री सूरज राठौड़**, निवासी मेघवालो का वास, मालनाथ ढाणी, **जालोर, राजस्थान**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

राकेश कुमार,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

श्री सूरज राठौड़,

मेघवालो का वास,

मालनाथ ढाणी, जालोर, राजस्थान ।

भारत निर्वाचन आयोग**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

No. 76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I

Dated: 1st January, 2026
11 Pausha, 1947 (Saka)**ORDER**

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **141-Ahore** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/RJ-LA/2023, dated 30th October, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **141-Ahore** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Jalore** report dated **09.01.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Suraj Rathore** a contesting candidate from **141-Ahore** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge the account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jalore** a Show-Cause Notice No.76/RJ-LA/141/2023/CEMS-I, dated **10th July, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Suraj Rathore** for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Suraj Rathore** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jalore** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** vide his letter no. P.(1)(1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3050 dated 22.11.2024 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Suraj Rathore**, on dated 19.11.2024; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jalore** in his Supplementary Report, vide its letter no. P.(1)(1) L.A.Ele./Exp. Mo./2024/3054 dated 16.12.2024 has reported that **Sh. Suraj Rathore** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Suraj Rathore** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Suraj Rathore** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Suraj Rathore**, residence of **Meghwalo ka Vas, Malnath ki Dhani, Jalore, Rajasthan**, a contesting candidate from **141-Ahore Assembly Constituency** of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

RAKESH KUMAR,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

To

Sh. Suraj Rathore,
Meghwalo ka Vas,
Malnath ki Dhani,
Jalore, Rajasthan.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।